दिनांक : 21 फरवरी, 2014

भाजपा और आंध्र प्रदेश का विभाजन

-अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

तेलंगाना का गठन हकीकत बन चुका है, ऐसे में राजनैतिक पर्यवेक्षक और मीडियाकर्मी अब इस बारे में विश्लेषण करेंगे कि राजनैतिक दृष्टि से किसे फायदा हुआ अथवा फैसले का क्या नतीजा निकला। संसद के फैसले को संकीर्ण प्रिज्म से देखना मूर्खता होगी। तेलंगाना उस क्षेत्र की जनता की संवैधानिक महत्वाकांक्षा बन चुका है। उनकी भावनाएं इतनी जबरदस्त थीं कि इसमें और देरी करने से हड़बड़ी में और अधिक अशांति पैदा होती।

कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में जितने खराब तरीके से इस मुद्दे का निपटारा किया उसके कारण समस्या और बढ़ गई। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की तरह आम सहमति कायम करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के आपस में झगड़ रहे गुटों ने राज्य में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया। समूचे राज्य में शासन प्रणाली ठप्प हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश भारत के उद्यमी राज्यों में से एक है। इस मुद्दे के समाधान के लिए किसी को भी राजनैतिक अवसरवाद और शासन कला में से किसी एक को चुनना पड़ता।

भाजपा की राज्य इकाई पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से तेलंगाना के गठन के लिए प्रतिबद्ध थी। 2006 में केन्द्रीय दल ने इस मांग का समर्थन किया। भाजपा ने अपनी दोनों बातों पर जोर डाला। पहला, एक अलग तेलंगाना राज्य का गठन अवश्य होना चाहिए। दूसरा, सीमान्ध्र के लोगों के साथ जायज न्याय किया जाए क्योंकि राज्य के विभाजन के परिणामस्वरुप आर्थिक दृष्टि से सीमान्ध्र को परेशानी उठानी पड़ेगी। जो लोग अत्यधिक दिखावे में लगे हुए थे वह तात्कालिक फायदा चाहते थे। दोहरे उद्देश्यों के बीच संतुलन कायम करना मुश्किल था। तेलंगाना के लोग खुश हैं कि उनके राज्य का गठन हो गया है और हैदराबाद तेलंगाना का एक अभिन्न हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों में कानून की सफलता अथवा विफलता भाजपा पर निर्भर थी। सत्ता का संतुलन भाजपा के पास था। हमने तेलंगाना के पक्ष में मुख्य भूमिका अदा करने का फैसला किया, जो हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

दो अन्य चुनौतियां भी थीं। सीमान्ध्र के हितों को कैसे संतुलित किया जाएगा? आप इस बात को कैसे उजागर करोगे कि तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया में सरकार सही तरीके से आगे नहीं बढ़ी? इस बात को उजागर करते हुए, एक सतर्क विपक्ष होने के नाते यह हमारा कर्तव्य था कि इस बारे में बताएं कि हैदराबाद के लिए कानून और व्यवस्था की शक्तियां मंत्री परिषद के पास रहने के बजाय राज्यपाल को देने के लिए एक संविधान संशोधन जरुरी है। हमारी यह सोच सही साबित हुई क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया अधूरे मन से और अविश्वसनीय थी। यह पार्टी का दृढ़ मत था कि सीमान्ध्र के वित्तीय हितों की रक्षा के संबंध में सरकार की सकारात्मक प्रतिबद्धता से सार तत्व

निकाले। हमने अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी संसदीय युक्तियां अपनाईं। साथ ही, पार्टी के रुप में हमारी स्थिति, जो संख्या की दृष्टि से सत्ता का संतुलन कर रही थी, उसका हमें अतिरिक्त लाभ मिल गया। राज्य सभा में हम सरकार से उस प्रतिबद्धता के बारे में यह सार तत्व निकालने में समर्थ रहे कि सीमान्ध्र को पांच वर्षों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा, सीमान्ध्र में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन को उसी तरीके से आकर्षित किया जाएगा जिस तरह अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध है, रायलसीमा और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए पिछड़े क्षेत्र का पैकेज भी दिया जाएगा। पोलावरम जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, वहां पहले जैसे स्थिति बहाल करने और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी, सीमान्ध्र के लिए संसाधन अंतर को केन्द्र सरकार से तब तक सहायता मिलेगी जब तक 14वां वित्त आयोग उसकी पात्रता तय नहीं करता। यह पैकेज निश्चित रुप से मुनासिब होगा और काफी हद तक सीमान्ध्र के हितों को ध्यान में रखेगा।

यदि सीमान्ध्र की नई राजधानी बनाने के बारे में केन्द्र से सहायता के रुप में किसी मांग को जारी रखा जाता है, तो भाजपा इस महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगी।

इतने हंगामे के बाद जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, यह स्पष्ट हो गया है हांलाकि अविभाजित आंध्र प्रदेश में भाजपा परम्परागत रुप से एक छोटा सा राजनैतिक समूह था, उसने अपने कर्तव्य का पालन जिम्मेदारी के साथ किया और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के दो विभाजित होने वाले क्षेत्रों के बीच निष्पक्ष रहने का प्रयास किया।

★★★★★